



(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)  
National Highways Authority of India

CBD/1, JL-23, Action Area - II, New Town, Kolkata - 700 156

संदर्भ / Ref. no. .... NHAI/RO-KOL/001/2025/10/37/ 588

दिनांक / Date ..... 02.06.2025 .....

विषय: एनएचडीपी चरण-III के तहत पश्चिम बंगाल राज्य में एनएच-12 (पुराना एनएच-34) के किमी 295.00 से किमी 398.00 तक फरक्का-रायगंज खंड को डीबीएफओटी (टोल) आधार पर चार लेन का बनाना: जल जीवन मिशन के तहत रायगंज डिवीजन पी.एच.ई. निदेशालय के अंतर्गत सोनापुर पाइप जलापूर्ति योजना के अंतर्गत एनएच-12 के दाहिने हाथ की ओर (आरएचएस) चेनेज 384.80 से 388.30 लांग तक 90 मिमी व्यास से 110 मिमी व्यास के जल ले जाने वाले पाइप को ओपन ट्रेंचिंग रिफिलिंग विधि द्वारा बिछाने की अनुमति के लिए आवेदन :/ Four laning of Farakka – Raiganj section of NH-12 (Old NH-34) from Km 295.00 to Km 398.00 in the State of West Bengal under NHDP Phase-III on DBFOT (Toll) basis: **Submission for permission of laying of 90mm dia to 110mm dia water carrying pipe from chainage 384.80 to 388.30 laong Right hand side (RHS) of NH-12 by open trenching refilling method under Sonapur piped water supply scheme at Itahar Block under Raiganj Division P.H.E. Dte, under Jal Jeevan Mission - reg**

परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, मालदा का पत्र संख्या 62016/1/2025-26/AP – PHE/(UD)/03/177 दिनांक 13.05.2025 के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि का उपयोग हेतु लाइसेंस देने के लिए जलापूर्ति विभाग ने उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।/ Project Director, PIU- Malda, NHAI vide letter no. 62016/1/2025-26/AP – PHE/(UD)/03/177 dated 13.05.2025 submitted the subject mentioned proposal of PHE Dte for granting license for use of National Highway land.

2. मंत्रालय के परिपत्र ओएम संख्या आरडब्लू/एनएच/33044/29/2015/एस एंड आर (आर) दिनांक 22-11-2016 के अनुसार, राजमार्ग प्रशासन राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि के उपयोग के लिए उपयोगिता सेवा के लिए लाइसेंस देने का प्रस्ताव जनहित के आधार पर 30 दिनों के लिए सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए उपलब्ध कराएगा।/ As per Ministry circular issued vide OM no RW/NH/33044/29/2015/S&R(R) dated 22.11.2016, the Highway Administration shall make available the proposal for granting license for use of National Highway land for laying utility service for public comments for 30 days on ground of public interest.

3. उपरोक्त विषयांकित सार्वजनिक नोटिस के आलोक के प्रस्ताव पर आम जनता की टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं, जो प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर इस कार्यालय तक प्राप्त हो जानी चाहिए। इसके उपरान्त कोई टिप्पणी स्वीकार नहीं होगी।/ In view of the above, comments of general public is hereby invited on subject captioned proposal, which should reach by this office within 30 days from the date of publication, beyond which no comments shall be entertained.

Cont....2

2-

टिप्पणियाँ निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकती हैं/ The Comments may be submitted at the following address:-

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मुख्य महाप्रबंधक (तकनीकी)<br>क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण<br>सिंथेसिस बिजनेस पार्क, कार्यालय इकाई - 8सी (विंग<br>सी, 8वीं मंजिल), सीबीडी/1, जेएल-23, एक्शन<br>एरिया-II, न्यू टाउन,<br>कोलकाता-700156 | <b>Chief General Manager (Tech)</b><br>Regional Office, National Highways<br>Authority of India, Synthesis Business Park,<br>Office Unit - 8C (Wing C, 8 <sup>th</sup> Floor), CBD/1,<br>JL - 23, Action Area - II, New Town,<br>Kolkata - 700156 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

यह सूचना सीजीएम (तकनीकी) और आरओ-कोलकाता, एनएचएआई के अनुमोदन से है/ This issue with the approval of CGM(Tech) - RO-Kolkata, NHAI.



(आशीष सयोरान)

उप. प्रबंधक (तकनीकी)

प्रतिलिपि:

- वेब प्रशासन, एनएचएआई-मुख्यालय-एनएचएआई वेबसाइट के "नया क्या है" के अंतर्गत अपलोड हेतु प्रेषित/ Web Admn, NHAI-HQ - with request to upload under "What's New" of NHAI web site.
- तकनीकी निदेशक, एनआईसी, परिवहन भवन, नई दिल्ली-110001- प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के लिए मंत्रालय की वेबसाइट के "नया क्या है" के अंतर्गत अपलोड करने हेतु प्रेषित।/ Technical Director, NIC, Transport Bhawan, New Delhi - 110001- with the request to upload under "What's New" of Ministry's Web Site for 30 days from the date of publication.
- परियोजना निदेशक, पीआईयू, एनएचएआई-मालदा को सूचनार्थ प्रेषित।/ Project Director, PIU-NHAI, Malda - for information.
- अधिशाषी अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंता विभाग, पी एच ई कार्यालय, परिसरए, करंजराए, रायगंजए, उत्तरदिनाजपुरए पिन - 733130 /The Executive Engineer, P. H. Engineering Dte, Raiganj Division, PHE Office Complex, Karanjora, Raiganj, Uttardinajpur, Pin - 733130 - for information.